

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS
राजस्व वाद संख्या 53,88,188

कैम्प ग्राम पंचायत 28/1/18

वादी

बनाम

सुखाराम

प्रतिवादीगण,

सुखाराम

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

सत्यमेव जयते

दिनांक :- 14/6/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री सुखाराम पुत्र सुखाराम जाति मत्त निवासी 28/1/18 तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम 28/1/18 के खाता संख्या/खसरा नम्बर 28/1/18 में श्री सुखाराम पुत्र सुखाराम जाति मत्त अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड में सही नाम सुखाराम पुत्र सुखाराम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट कैम्प 28/1/18 में पेश करे। पत्रावली कैम्प 28/1/18 में पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु कैम्प 28/1/18 में दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम 28/1/18 तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 28/1/18 में वादी श्री सुखाराम पुत्र सुखाराम निवासी 28/1/18 की जगह वादी का सही नाम सुखाराम पुत्र सुखाराम जाति मत्त निवासी 28/1/18 दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/1/18 को सरे आम कैम्प 14/6/18 में सुनाया गया।

सुखाराम
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)